न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः—20/2021

1. श्रीमती इन्द्रकौर उम्र 75 वर्ष बेवा श्री करतारसिंह जाति बावरी निवासी चक 1 यूडीएम (बी) तहसील अनूपगढ़
2. अमरसिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र श्री करतारसिंह जाति बावरी निवासी चक 1 यूडीएम (बी) तहसील अनूपगढ़
3. जीवनसिंह उम्र—35 वर्ष पुत्र श्री करतारसिंह जाति बावरी निवासी चक 1 यूडीएम (बी) तहसील अनूपगढ

—— प्रार्थी

बनाम्

1. कमलादेवी धर्मपत्नी श्री रावताराम जाति जाट निवासी चक 8 एसटीबी तहसील श्रीविजयनगर हाल आबाद चक—1 यूडीएम(बी) ढाणी तहसील अनूपगढ
2. पुष्पादेवी धर्मपत्नी श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी चक—8 एसटीबी तहसील श्रीविजयनगर हाल आबाद चक—1 यूडीएम (बी) ढाणी तहसील अनूपगढ
3. विमलादेवी धर्मपत्नी श्री जसवंतराम जाति जाट निवासी चक 8 एसटीबी तहसील श्रीविजयनगर हाल आबाद चक—1 यूडीएम (बी) ढाणी तहसील अनूपगढ
4. सुमित्रादेवी धर्मपत्नी श्री हंसराज जाति जाट निवासी चक 8 एसटीबी तहसील श्री विजयनगर हाल आबाद चक—1 यूडीएम(बी) ढाणी तहसील अनूपगढ

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांकः—07.11.2022**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक—1 युडीएम (बी) तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.—266/406 की 25 बीघा कृषि भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी नं.—1 श्रीमती इन्द्रकौर के नाम से बतौर खातेदार दर्ज है। जमाबंदी की प्रतिलिपि संलग्न है। वर्णित कृषि भूमि को हम प्रार्थीगण ने अपने पति/पिता श्री करतारसिंह के जीवनकाल में ही तीन हिस्सों में बांट लिया था। इस घरेलू बंटवारा के अनुसार 1/3 हिस्सा प्रार्थी सं.—01 श्रीमती इन्द्रकौर का है, 1/3 हिस्सा प्रार्थी सं.—2 अमरसिंह का है तथा 1/3 हिस्सा प्रार्थी सं.—3 जीवनसिंह का है। इस कृषि भूमि के लिए किए गए घरेलू बंटवारा के अनुसार किला नं.—1ता8 की 8 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी सं.—2 अमरसिंह की है, किला नं.—9ता16 प्रार्थी सं.—1 श्रीमती इन्द्रकौर की है तथा शेष रहे किला नं.—17 ता 25 की 8 बीघा श्री करतारसिंह के सबसे छोटे पुत्र प्रार्थी सं.—3 जीवनसिंह के बंटवारा में आए है। प्रार्थीग[illegible] चाहते है कि प्रार्थी सं.—3 जीवनसिंह को उसके हिस्सा में आई कृषि भूमि [illegible]7ता25 के लिए रास्ता उपलब्ध है तथा यह रास्ता अप्रार्थीगण [illegible] (बी) तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.—265/406 के किल[illegible]था इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि के किला नं.—2[illegible]5 मे पक्का खाला है तथा इस पक्के खाला के लिए नहरी विभाग का नक्का किला नं.—25 में स्वीकृत है तथा अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के किला नं.—21 ता 25 में पक्का खाला है। मुरब्बा नं.—265/406 की जमाबंदी की प्रतिलिपि संलग्न है। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके चक 1 यूडीएम बी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.—265/406 की 25 बीघा के मूल खातेदार श्री संसारसिंह पुत्र श्री सुरजनसिंह जाति राजपूत निवासी चक 1 यूडीएम बी है तथा प्रार्थीगण यह भी स्पष्ट कर रहे है कि इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.12.19 11:00:08 IST
Reason: SelfAttested

कृषि भूमि के मूल खातेदार श्री संसारसिंह के द्वारा इस कृषि भूमि का बेचान करने से पूर्व इस कृषि भूमि के किला नं.–1,10,11,20,21 में रास्ता चालू था जिसका उपयोग प्रार्थीगण द्वारा किया जाता रहा है परन्तु जैसे ही इस कृषि भूमि के मूल खातेदार श्री संसारसिंह ने अपनी इस कृषि भूमि के किला नं.–21 में स्थित रास्ता को रहने दिया तथा किला नं.–1,10,11,20 में स्थित रास्ता को किला नं.–21 के समाप्त होते ही बंद कर दिया। श्री संसारसिंह की कृषि भूमि की गिरदावरी सम्मत 2037–39 वा जमाबंदी की प्रतिलिपि सम्म्त 2049 उपलब्ध होते ही प्रस्तुत कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मुरब्बा नं.–265/406 के किला नं.–21 में अरसा दराज से स्वीकृत रास्ता है आगे के बीघा किला नं.–1,10,11,20 में इस कृषि भूमि के मूल खातेदार श्री संसारसिंह की सहमति से यह रास्ता चालू था तथा जैसे ही श्री संसारसिंह ने इस कृषि भूमि का बेचान अप्रार्थीगण को किया तथा अप्रार्थीगण की जानकारी में जब यह आया कि इस कृषि भूमि के केवल किला नं.–21 में स्वीकृत रास्ता है तथा शेष रहा रास्ता मूल खातेदार की सहमति से था तब अप्रार्थीगण ने किला नं.–21 को छोड़ कर शेष रहे किलाजात नं.–1,10,11,20 के रास्ता को किला नं.–21 के समाप्त होते ही यानि किला नं.–21 की बट बंद कर दिया। प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि का बंटवारा कर रखा है जिससे प्रार्थी सं.–1वा2 को अपने अपने हिस्सा की कृषि भूमि में आने जाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नही है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ओर से अधिवक्ता श्री हंसराज डाल ने वकालतनामा पेश कर निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि वाके चक 1 यूडीएम बी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–266/406 की 25 बीघा रकबा प्रार्थीया इन्द्रकौर के नाम से दर्ज है तथा घरू बंटवारा के संबंध में प्रार्थीगण ने कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। उक्त रकबा आज भी राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्रकौर के नाम से दर्ज है। प्रार्थी सं.–3 जीवनसिंह के हिस्सा मे किला नं.–1ता25 प्राप्त होना अस्वीकार है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि मुरब्बा नं.–266/406 के लिए रास्ता उपलब्ध है लेकिन वह रास्ता अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से ना होकर प्रार्थीगण की भूमि के चिपते मुरब्बा नं.–17 पत्थर सं.–266/407 के किला नं.–1,10,11,20,21 में से है तथा यही रास्ता मुरब्बा नं.–1 के साथ चल रही मुख्य डामर सड़क से जुड़ती है तथा यही रास्ता मुरब्बा नं.–17 से आगे प्रार्थीगण की स्वयं की कृषि भूमि चक 1 यूडीएम बी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–266/406 के किला नं.–1,10,11,20,21 मे जाता है जो मौका पर चल रहा है जो स्वीकृत है तथा इसी रास्ता से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आना जाना करते है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के किला नं.–21 व मुरब्बा नं.–17 के किला नं.–1 के मध्य पुलिया भी बनी हुई है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है लेकिन इसके उपरांत भी प्रार्थीगण माननीय अदालत को गुमराह करने के आशय से अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के आशय से यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र मे स्वयं के इस तथ्य को स्वीकार करते है कि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि [illegible] खाला चल रहा है। अप्रार्थीगण की भूमि मे पूर्व ही खाला चल रहा है तथा प्र[illegible]स रास्ता उपलब्ध होने के कारण प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के रकबा [illegible] नहीं कर सकते है। अप्रार्थीगण के रकबा में पूर्व मे कोई रा[illegible]ना ही अप्रार्थीगण द्वारा कोई रास्ता बंद किया गया है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में [illegible] जाने के लिए डामर रोड़ से मुरब्बा नं.–17 पत्थर सं.–266/407 के किला नं.–1,10,11,20,21 मे रास्ता उपलब्ध है जो मौका पर चल रहा है जो मौका स्वीकृत है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण की स्वयं की कृषि भूमि चक 1 यूडीएम बी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–266/406 के किला नं.–1,10,11,20,21 में जाता है जो मौका पर चल रहा है जो स्वीकृत है। प्रार्थीगण को अपने रकबा में आने जाने के लिए मुरब्बा नं.–17 पत्थर सं.–266/407 के किला नं.–1,10,11,20,21 में रास्ता उपलब्ध है जो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.12.19 11:00:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से साबित है। प्रार्थीगण अदालत के समक्ष क्लीनहैड से नही आए है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से किसी प्रकार का रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए स्वीकृतशुदा रास्ता है जो प्रार्थीगण द्वारा जमाबंदी प्रस्तुत की गई है, में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–251(क) में यह प्रावधान है कि पक्षकार को यदि विकल्प में रास्ता उपलब्ध नही होने की स्थिति में ही नया रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। जबकि प्रार्थीगण का अपनी भूमि में आने जाने के लिए डामर रोड़ से मुरब्बा नं. 17 में से होते हुए प्रार्थीगण की स्वयं की भूमि में स्वीकृतशुदा रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज है।

तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा मौका रिपोर्ट में मुताबिक रिकॉर्ड चक 1 यूडीएम के पत्थर नं.–266/406 मुरब्बा नं.–4 के किला नं.–1ता25 का 6.199 हैक्टर भूमि इन्द्रकौर पत्नी करतारसिंह जाति बावरी साकिन 8 बीजीडी तहसील विजयनगर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त पत्थर नं.–266/466 के मुरब्बा नं.–4 के चिपते पत्थर नं.–265/406 मुरब्बा नं.–5 के किला नं.–1,10,11,20 में रास्ता को स्वीकृत करने के लिए निवेदन किया गया है। उक्त पत्थर नं.–266/406 मुरब्बा नं.–4 में प्रार्थीया इन्द्रकौर को खेत में जाने के लिए पत्थर नं.–266/407 मुरब्बा नं.–17 के किला नं.–1,10,11,20,21 में से स्वीकृतशुदा रास्ता लगता है और पत्थर नं. –265/407 का मुरब्बा नं.–16 के किला नं.–1,10,11,20,21 में प्रार्थीया इन्द्रकौर को खेत में जाने के लिए रास्ता स्वीकृतशुदा लगता है इसलिए प्रार्थीया को अन्य रास्ता दिया जाना उचित नही होगा।

तदुपरांत बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वांछित रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए स्वीकृतशुदा रास्ता है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–251(क) में यह प्रावधान है कि पक्षकार को यदि विकल्प में रास्ता उपलब्ध नही होने की स्थिति मे ही नया रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। जबकि प्रार्थीगण का अपनी भूमि में आने जाने के लिए प्रार्थीगण की स्वयं की भूमि में स्वीकृतशुदा रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज है।

अंततः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि को मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार रिकॉर्ड रास्ता पहुँच मार्ग होने एवं आवेदक को मौका काश्तानुसार आराजी नये रास्ता की जरूरत नहीं होने का कथन है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यक नहीं होने, पूर्व में रास्ते की सुविधा होने एवं केवल वांछित रास्ता जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.12.19 11:00:08 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज.काश्त. अधिनियम 1955 को स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

Priyanka

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़